

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर कैंप,भोपाल

श्री ग्वालियर को ६१७

निगरानी प्र.क...३७३०...../2016

श्रीमान् को ११११

दिनांक २५/१०/१६

को ५५/

२

1. भवानी सिंह आत्मज श्री रामचरण, आयु वयस्क
2. श्रीमती सुनीताबाई पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह, आयु वयस्क
3. चन्द्रसेन आत्मज श्री बालाप्रसाद जैन, आयु वयस्क
4. श्रीमती कमलाबाई पत्नी श्री कमलचंद जैन, आयु वयस्क
5. श्रीमती सीताबाई पत्नी श्री रामचरण, आयु वयस्क  
सभी कृषक निवासी-ग्राम तामोद तहसील गौहरगंज  
जिला-रायसेन (म.प्र.)
6. कपूर सिंह आत्मज श्री शादीलाल चौहान  
कृषक-तामोट निवासी-बीलखेड़ी तहसील गौहरगंज  
जिला-रायसेन (म.प्र.)
7. निर्मल सिंह आत्मज श्री बाबूलाल, आयु वयस्क,  
कृषक-तामोट निवासी-ग्राम मेदुआ तहसील गौहरगंज  
जिला-रायसेन (म.प्र.) .....आवेदकगण


विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,  
द्वारा-डी.डी.लववंशी आत्मज श्री रामदास लववंशी  
कार्यपालन अभियंता,  
अतिरिक्त उच्चदाब निर्माण संभाग, गोविंदपुरा, भोपाल
2. मध्यप्रदेश शासन,  
द्वारा-कलेक्टर महोदय,  
जिला-रायसेन .....निगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959


महोदयजी,

न्यायालय जिला कलेक्टर रायसेन के प्र.क.230/बी-121/कले./2015-16 म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि.विरुद्ध भवानी सिंह एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.09.2016 एवं उपरोक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज द्वारा प्र.क.329/बी-412/एस.डी.ओ./2015-16 में की जा रही कार्यवाही दिनांक 14.10.2016 से दुखी होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी समय सीमा में माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है।





निरन्तर....2

27-10-16  


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3730-पीबीआर/16

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-11-2016	<p>आवेदकगण की ओर से श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । अनुविभागीय अधिकारी के दिनांक 14-10-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 10 (ग) सहपठित भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है । उक्त अधिनियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों एवं पारित आदेशों के विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>

ad/asm